

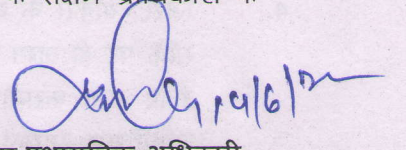
[illegible]

दिनांक: 14.06.2022.

नियम व शर्तें:

1. संस्थान फार्म के विभिन्न प्रखण्डों से उत्पादित खजूर के 220 वृक्षों से प्राप्त फलों की तुड़ाई की नीलामी की जानी है।
2. उत्पादित खजूर के 220 वृक्षों से प्राप्त फलों की तुड़ाई जिसकी नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क किया जा सकता है।
3. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रूप में ₹.2000/- (रुपये दो हजार मात्र) जमा कराने होंगे।
4. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का 50% (पचास प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को तुड़ाई कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यदेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा तुड़ाई कार्य शुरू किया जावेगा।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की 50% (पचास प्रतिशत) राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। किस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या फलों के विक्रय हेतु पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
6. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुड़ाई के दौरान खजूर के वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। खजूर के वृक्षों के बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
7. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात उत्पादित खजूर पौधों की फलों के 220 पौधों में लगे फलों को ले जाने का कार्यदेश जारी होने के एक माह में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक खजूर के फलों पर नहीं रहेगा। इस अवधि में खजूर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
8. बोली की राशि पर लगाने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
9. उत्पादित खजूर के फलों की तुड़ाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुड़ाई नहीं होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेंगे। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को फलों के तुड़ाई के लिये नहीं लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तोड़े गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।

10. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यों के लिये उत्पादित खजूर फलों के 220 पौधों में लगे फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे एवं टैग किये पौधों की तुड़ाई तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की उपस्थिति में ही की जावेगी।
11. खजूर प्रखण्ड में 3-4 पौधे के फलों की पिण्ड अवस्था देखने, बनाने एवं अनुसंधान के उद्देश्य से रखे जा सकते हैं।
12. उत्पादित खजूर फलों के 220 पौधों में लगे फलों की तुड़ाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा।
13. किसी भी प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आंधी-तूफान, पशु एवं पक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
14. तुड़ाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
14. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
15. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।


प्र.प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.07 जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछ्वाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछ्वाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. फार्म मैनेजर - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. व्यक्तिगत सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
12. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वेब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड कर सूचित करें।



भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर - 334006
दूरभाष: 0151-2250960 एवं 0151-2253123



निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र में खजूर प्रखण्ड में स्थित खजूर के 220 वृक्षों से प्राप्त फलों की तुड़ाई की खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 18.06.2022 को सुबह 11.30 बजे आयोजित की जावेगी। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्तें संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय 10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर, के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेब साईट ciah.icar.gov.in एवं CPP&NIC Portal पर उपलब्ध है।

-sd-

प्र. प्रशासनिक अधिकारी